

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2015/चैत्र 17, 1937

No. 716]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2015/CHAITRA 17, 1937

# शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2015

का. आ. 941 (अ).- यत: दिल्ली के मास्टर प्लान में नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.02.2014 की सं. का.आ. 509 (अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए थे और केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 3. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन: जोन-ई में पड़ने वाले निम्नलिखित क्षेत्रों का भू-उपयोग नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग	प्रस्तावित भूमि	सीमाएं
		(वर्ग	(दि.मु.यो-2021)	का उपयोग	
		मीटर)	_		
1	बहुउद्देशीय खेल के मैदान के	3447	मनोरंजना <b>त्म</b> क	सार्वजनिक एवं	उत्तर: सामुदायिक पार्क
	लिए मनोरंजनात्मक (हरित)			अर्द्ध सार्वजनिक	<b>पश्चिम</b> : सामुदायिक पार्क
				उपयोग (पीएस-	दक्षिण: कब्रिस्तान
				ı)/कब्रिस्तान*	पूर्व: एस.टी.पी.

 $1564 \, \text{GI}/2015$  (1)

\*उपर्युक्त भूमि उपयोग में परिवर्तन मौजूदा कब्रिस्तान के अतिरिक्त है, अत: कब्रिस्तान का कुल क्षेत्रफल 13328 वर्ग मीटर (1.3328 हैक्ट.) मौजूदा 9881 वर्ग मीटर+प्रस्तावित 3447 वर्ग मीटर होगा।

> [फा.सं. के-13011/6/2014-डीडी-I] सुनील कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2015

- **S.O. 941(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 509 (E) dated 22.02.2014, by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, no objection/suggestion has been received in regard to the proposed modifications and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

#### **Modification:**

The land use of the following areas falling in Zone-'E' is changed as per description listed below:

S.No.	Location	Area	Landuse	Landuse changed to	Boundaries
		(sqm)	(MPD-2021)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Recreational	3447	Recreational	Public & Semi	North: Community Park
	(Green) for			Public (PS-	West: Community Park
	Multipurpose			1)/Graveyard*	South: Burial Ground
	Play area.				East: S.T.P.

<sup>\*</sup>The above change of landuse is in addition to the existing Graveyard. Hence the total area of Graveyard would be 13,328 sqm (1.3328 ha). Existing 9881 sqm + Proposed 3447 sqm.

[F. No. K-13011/6/2014-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.